

From

Addl. Chief Secretary to Govt. of Haryana,  
Medical Education and Research Department,  
New Haryana Civil Secretariat Building, Sector 17,  
Chandigarh.

Receipt No. 5885  
Date 7-8-17

Registrar Office

Fr. B.D. Sharma UHS Rohtak

To

The Registrar,  
Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences,  
Rohtak  
(also Chairman, Admission Commission):

Memo No.16/21/2017-6HB-IV.  
Dated Chandigarh. the 4-8-2017

**Subject:** Clarification regarding reservation for wards of Ex-servicemen and Freedom Fighter for admission to MBBS/BDS courses in all Government/Government aided and Private Medical/Dental colleges including those under Private University in the State for the academic session 2017-18.

\*\*\*\*\*

I have been directed to convey you on the above subject.

2. The matter regarding clarification of reservation in admissions to the children/grand children of freedom fighters was referred to the Chief Secretary (in General Services-III Branch) and the following advice has been received:-

प्रशासकीय विभाग को सूचित किया जाता है कि स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को दी जाने वाली सुविधाओं/लाभों के सम्बन्ध में नोडल विभाग प्रोटोकॉल है। प्रशासकीय विभाग द्वारा मांगी गई मंत्रणा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मामला प्रोटोकॉल विभाग को क्लेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था। प्रोटोकॉल विभाग द्वारा सूचित किया है कि हरियाणा सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जा रही सुविधाएं सरकार द्वारा जारी की गई बुकलेट के पृष्ठ 2 अनुसार राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों के लिए ही प्रोफेशनल कोर्सों, मैडिकल, इंजीनियरिंग तथा आई0टी0आई0 में एक प्रतिशत सीट प्रवेश के लिए इस शर्त के साथ आरक्षित कर रखी है, यदि 3 प्रतिशत सीटें जो दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं उनमें योग्य दिव्यांग न मिलने के कारण खाली रह जाती है, उसमें से एक प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके वार्ड्स और एक प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल विभाग ने यह भी सूचित किया है कि प्रोटोकॉल विभाग की हिदायतें यदि क्रमांक 16/36/2004-4

पी.पी. दिनांक 10.8.2004 द्वारा जारी की हुई है जिसके अनुसार हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों के आश्रितों को ही प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है । इसलिए प्रशासकीय विभाग को मंत्रणा दी जाती है कि मामले में प्रोटोकॉल विभाग द्वारा दी गई उक्त मंत्रणा अनुसार कार्यवाही करें।”

You are therefore, advised that the benefit of reservation for admission in MBBS/ BDS to the children/grand children of freedom fighters of Haryana State only may be given. It is further clarified that this benefit would be available only to the children/grand children of freedom fighters, if freedom fighter belongs/belonged to Haryana State.

*Anoop Bhat*  
Superintendent,

for Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana,  
Medical Education & Research Department,  
Chandigarh.

*urgent*  
- CO E  
- *Sharma (Acad)*

*v e*

*7/5/11*  
**REGISTRAR**

*A II*  
*2/8/11*